संख्या-53/2023/641/22-4-2023-22/99

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 21 सितम्बर, 2023

विषय-कारागार मुख्यालय के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-26025/नजारत-4/80-वा0क्र0/2023-24, दिनांक 16 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया कारागार मुख्यालय की कुल 02 नग निष्प्रयोज्य एम्बेस्डर कारें एवं 01 नग निष्प्रयोज्य जिप्सी के स्थान पर 01 नग अर्टिगा स्मार्ट हाईब्रिड सिगमा 1.5 एल, बीएस-6 तथा 01 नग अर्टिगा स्मार्ट हाईब्रिड वीएक्सआई 1.5 एल, बीएस-6 एवं 01 नग सियाज स्मार्ट हाईब्रिड सिगमा 1.5 एल, बीएस-6 क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 24,64,657/- (रूपया चौबीस लाख चौसठ हजार छः सौ सत्तावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

क्र0	वाहन का नाम	प्रति वाहन मूल्य	वाहन की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 01 नग अर्टिगा स्मार्ट हाईब्रिड वीएक्सआई 1.5 एल, बीएस-6	रू0 8,69,349/-	01 नग	रू0 8,69,349/-
2	01 नग अर्टिगा स्मार्ट हाईब्रिड सिगमा 1.5 एल, बीएस-6	रू0 7,69,029/-	01 नग	रू0 7,69,029/-
3	मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 01 नग सियाज स्मार्ट हाईब्रिड सिगमा 1.5 एल, बीएस-6	रू0 8,26,279/-	01 नग	रू0 8,26,279 /-
		योग-	**03 नग**	**रू0 24,64,657/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की कार्यवाही 03 माह के पूर्व / निर्धारित रीति से सुनिश्चित कराकर प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक / माडल / स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(5) क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(6) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(9) वाहन चालकों की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध जनशक्ति से ही किया जाएगा ।

(10) वाहनों की धनराशि यदि अनुमन्य सीमा से अधिक हो तो प्रस्ताव पर MSME विभाग की भी अनापत्ति प्राप्त किया जाएगा ।

(11) वाहनों के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(12) वाहनों का शासकीय उपयोग अनुमन्य स्तर द्वारा ही किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,64,657 (रुपये चौबीस लाख चौंसठ हजार छह सौ सत्तावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002500 कारागार - मुख्य **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या -E-12-256-X-2023-24, दिनांक: 20.9.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-53/2023/641(1)/22-4-2023-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।